कार्या.—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन (म.प्र.)

पृ.क्र. 1575/पेनल लॉयर्स/जिविसेप्रा/2024 उज्जैन, दिनांक 04.01.2024

- **प्रतिलिपिः—**

(1). अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, सिविल न्यायालय—खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना एवं बड़नगर, जिला उज्जैन,

(2). अध्यक्ष, मंडल अभिभाषक संघ, उज्जैन,

(3). तहसील अभिभाषक संघ, खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना एवं बड़नगर,

(4). प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग, जिला न्यायालय, उज्जैन एवं

(5). ए0डी0आर0सेंटर भवन, उज्जैन की ओर **की ओर प्रेषित होकर सादर अनुरोध है कि सम्मानीय अभिभाषकगण के सूचनार्थ संलग्न विज्ञापन एवं आवेदन—पत्र प्रारूप को अपने कार्यालीयन सूचना—पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करे।**

- **संलग्नः**—उपरोक्तानुसार विज्ञापन क्र. 1574 दिनांकित 04.01.2024।

(मा0प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

04/01/2024

(चन्द्रेश मण्डलोई)
जिला विधिक सहायता अधिकारी,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उज्जैन (म.प्र.)

(c.m.)

कार्या.—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन (म.प्र.)

क्र./1574/पे.लॉयर्स/जिविसेप्रा/2024 उज्जैन, दिनांक 04/01/2024

।। विज्ञापन ।।

जिला मण्डल अभिभाषक संघ, **उज्जैन** एवं तहसील अभिभाषक संघ, **खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना एवं बड़नगर** के समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन** द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 की धारा 08 के अनुक्रम में **विधिक सेवा संस्था—उज्जैन, खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना एवं बड़नगर** में विधि व्यवसायियों की नवीन पैनल में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन—पत्र आमंत्रित कियें जाते हैं।

'पेनल लॉयर्स इम्पेनलमेंट हेतु विधिक सेवा संस्थाओं में संख्या'

क्र.	विधिक सेवा संस्था	अधिकतम संख्या
01.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, **उज्जैन**	25
02.	तहसील विधिक सेवा समिति, **खाचरौद**	10
03.	तहसील विधिक सेवा समिति, **नागदा**	10
04.	तहसील विधिक सेवा समिति, **महिदपुर**	10
05.	तहसील विधिक सेवा समिति, **तराना**	10
06.	तहसील विधिक सेवा समिति, **बड़नगर**	10

नोट:—उपरोक्तानुसार संख्या में इम्पेनलमेंट के पश्चात् भी पेनल लॉयर्स की संख्या में वृद्धि अथवा कमी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहेगी।

- **विशेष टीप** :—

1. आवेदनकर्ता विधि व्यवसायी अपना आवेदन—पत्र **प्रारूप—1** के साथ **प्रारूप—2** अनुसार वृत्तिक अनुभव प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे। विधि व्यवसायी का वृत्तिक अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम **03 वर्ष** का पूर्ण होना चाहिए।

2. आवेदन—पत्र पर हाल हीं में खिंचा गया पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चस्पा करें। आवेदन—पत्र के साथ स्टेट बॉर कौंसिल से अधिवक्ता पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं अन्य प्रमाण—पत्र की स्व—प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि कोई हो तो) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

3. यदि आवेदनकर्ता पूर्व में अथवा वर्तमान में रिटेनर अधिवक्ता रहा है, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपित आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

4. आवेदनकर्ता के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है अथवा दोषसिद्धि हुयीं है, तो कृपया पुलिस का अंतिम प्रतिवेदन/निर्णय/अपील की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

5. आवेदनकर्ता यदि दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, तो मेडिकल बोर्ड का प्रमाण—पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

निरन्तर.....(2)

6. विधि व्यवसायी के रूप में विधिक क्षेत्र में दक्षता का विषय का उल्लेखि अनिवार्य रूप से करें। कृपया उक्त विषय के समर्थन में आवेदक द्वारा पैरवी किये गये कम से कम 03 निर्णयों की प्रतिलिपि अथवा 03 प्रतिपरीक्षण की प्रतिलिपियॉ अवश्य प्रस्तुत कीजिए।

7. विधिक सेवा संस्था द्वारा विधि व्यवसायियों की सिविल, दाण्डिक, श्रम मामलों, उपभोक्ता विवाद, राजस्व मामलों आदि में पृथक–पृथक पैनल बनायी जा सकेगी। सामान्य तौर पर चयनित पेनल लॉयर को केवल एक पैनल सूची में सम्मिलित किया जाएगा। परंतु किसी विधि व्यवसायी को पैनल में विशेष आवश्यकता एवं उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर एक से अधिक विषय सूची की पेनल में सम्मिलित किया जा सकेगा।

8. विधिक सेवा संस्था में बेहतर एवं दक्ष (Better and Efficient) विधि व्यवसायी की पेनल तैयार करने के लिए साक्षात्कार माध्यम से यथोचित मानदण्ड/मेरिट पर यथोचित संख्या में चयन किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में विधिक सेवा संस्था के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

9. पैनल लॉयर्स के चयन हेतु पैनल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांग वकीलों का प्रतिनिधित्व के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संख्या का निर्धारण किया जा सकेगा।

10. विधिक सेवा संस्था में नवीन पैनल का कार्यकाल म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदित तिथि से अधिकतम अवधि 03 वर्ष अथवा अन्य आदेश पर्यन्त रहेगी। तथा पैनल वकीलों की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए कालिक रूप से पुर्नविलोकन और अद्यतन किया जा सकेगा।

11. पेनलित अधिवक्ता को समय–सयम पर प्रचलित नियमानुसार पारिश्रमिक/मानदेय एवं व्यय देय होगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यय अथवा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

12. इम्पैनल्ड पेनल लॉयर को यथा निर्देशित विधिक सेवाओं/विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रमों, अभियानों एवं जेल बंदियों को विधिक सहायतार्थ सहभागिता/सहयोग करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होना होगा।

13. पैनल लॉयर को सुपुर्द कियें गयें प्रकरण/मामलों की सतत् मॉनिटरिंग कार्य के अधीन रहेंगे। अतः पैनल लॉयर से समय–समय पर कार्य प्रतिवेदन एवं अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा रहेगी।

14. समय–समय पर जारी व प्रभावशील सुसंगत नियमों और विनियमों के प्रकाश में विधिक सेवा संस्था के प्राधिकारियों द्वारा बताए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का सदैव पालन करना होगा तथा समय–समय पर की जाने वाली पृच्छा के संबंध में प्रतिवेदन भी देना होगा।

- **समय सीमा–**

"आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 04.01.2024 से दि. 20.01.2024 के सांय 5:00 बजे तक"

इच्छुक अभिभाषक (संघ का सदस्य) निर्धारित किये गये आवेदन–पत्र के प्रारूप में अपना आवेदन–पत्र संबंधित **विधिक सेवा संस्था के कार्यालय** में नियत तिथि तक, कार्यदिवसों में प्रस्तुत करेंगे। **अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

- **चयन प्रक्रिया–** संबंधित विधिक सेवा संस्था द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से छँटनी (स्कूटनी) कर अर्हता रखने वाले उम्मीद्वारों को चयन कमेटी के समक्ष **साक्षात्कार परीक्षण** के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षण की तिथि अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए बाद में नियत कर घोषित की जाएगी। जिसकी सूचना यथासंभव संबंधित अभिभाषक संघ,

निरन्तर.....(3)

न्यायालय तथा विधिक सेवा संस्था के सूचनापटल पर चस्पा हेतु प्रेषित की जाएगी। तिथि की सूचना प्राप्ति के लिए यदि किसी कारणवश साक्षात्कार तिथि परिवर्तन होती है तो उसकी सूचना आवेदक को उनके द्वारा दिये गये दूरभाष/मोबाईल पर उचित माध्यम से सूचित की जा सकेगी। किसी भी आवेदक का आवेदन निरस्त/रद्द करने का पूर्ण अधिकार संबंधित विधिक सेवा संस्था का होगा और चयन कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

- आवेदकों का साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक **20.01.2024** के पश्चात् दिनांक **29.01.2024 तक** के दौरान किसी भी तिथि के दिन संबंधित विधिक सेवा संस्था द्वारा आयोजित किया जा सकेगा। उक्त अवधि परिवर्तनीय हो सकेगी।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन के लिए चयनित विधि व्यवसायियों की पृथक–पृथक विषय प्रकृति की अग्रलिखित पैनल सूची तैयार की जा जाएगी–

क्र.	विषयवार प्रकृति की पैनल का विवरण
1.	दाण्डिक/चैक बाउंस प्रकरणों में परिवादी/पीड़ित की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की पैनल
2.	सिविल/कुटुम्ब न्यायालय में वैवाहिक विवाद/भरण–पोषण/घरेलू हिंसा/राजस्व/उपभोक्ता/श्रम न्यायालय/एमएसीटी एवं अन्य सिविल प्रकृति के मामलों हेतु पेनल
3.	किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष मामालों में विधिक सहायतार्थ पेनल

- तहसील विधिक सेवा समितियों के लिए चयनित विधि व्यवसायियों की पृथक–पृथक विषय प्रकृति की अग्रलिखित पैनल सूची तैयार की जा सकेगी–

क्र.	विषयवार प्रकृति की पैनल का विवरण
1.	रिमाण्ड स्टेज एवं दाण्डिक (सत्र एवं मजिस्ट्रेट न्यायालयों) विचारण प्रकरणों में पैरवी हेतु पैनल
2.	सिविल/वैवाहिक/भरण–पोषण/घरेलू हिंसा/राजस्व/एमएसीटी एवं अन्य सिविल प्रकृति के मामलों हेतु पेनल

- आवेदक द्वारा विधि व्यवसायी का वृत्तिक अनुभव हेतु **अनुभव प्रमाण–पत्र** संबंधित अभिभाषक संघ से **प्रारूप–2** अनुसार प्राप्त किया जाकर आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

- **यात्रा व्यय/भत्ता**–

साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदक को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय एवं भोजन व्यय अथवा भत्ता आदि देय **नहीं** होगा।

❖ **संलग्नः**– 1. आवेदन–पत्र (प्रारूप–1)
2. वृत्तिक प्रमाण–पत्र का प्रारूप (प्रारूप–2)

(मान0 प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महो.के आदेशानुसार)

(कपिल भारद्वाज)
जिला न्यायाधीश एवं सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उज्जैन (म.प्र.)

***

(c.m.)

'आवेदन–पत्र (प्रारूप–1)'

(विधिक सेवा संस्था में विधि वयवसायी का इम्पैनलमेंट ***(Empanelment)*** *हेतु आवेदन–पत्र)*

प्रति,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
तहसील विधिक सेवा समिति,
.... पिन–......................

Please Affix
Recently
Photograph

विषयः–राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 अन्तर्गत विधिक सेवा संस्था में पेनल लॉयर के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन–पत्र।

--000--

1. आवेदक अधिवक्ता का पूरा नाम : ....

2. आवेदक के पिता/पति का पूरा नाम : ....

3. उम्र–................ वर्ष, जन्म तिथि–............/........./.................., जाति–...................., वर्ग–.............................,
धर्म–..............................., लिंग–........................ (महिला/पुरूष/अन्य)।

4. क्या आप दिव्यांगता की श्रेणो में आते है?(हॉ/नहीं)–.......... यदि हॉ तो, दिव्यांगता का प्रकार–.................
दिव्यांगता का प्रतिशत–.......................... (दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न कीजिए)

5. आवेदक का पत्राचार का पूरा पता : ....
: ग्राम/शहर–....................................तहसील–...............................
पुलिस थाना–................................ जिला–...............................
राज्य–..पिन कोड–...........................

6. आवेदक का सम्पर्क हेतु विवरण : मोबाईल नं.– ....Whatsapp no. ....
: ईमेल आइडी–...

7. स्टेट बॉर कौंसिल से अधिवक्ता पंजी.नं. : पंजी.नं. .... दिनांक ....
➢ *(निर्देश–स्टेट बॉर कौंसिल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कीजिए।)*

8. अभिभाषक संघ का नाम एवं स्थान जहॉ वृत्तिक कार्य हेतु सदस्य पंजीबद्ध है–..

9. विधि व्यवसायी के रूप में वृत्तिक अनुभव–........................वर्ष एवं ....माह। *(प्रारूप–2 के प्रमाण–पत्रानुसार)*
➢ *(निर्देश–आवेदन–पत्र की अंतिम तिथि तक* ***03 वर्ष*** *का पूर्ण वृत्तिक कार्यानुभव पूर्ण होना अनिवार्य है)*

10. विधि व्यवसायी के रूप में विधिक क्षेत्र में दक्षता का विषय–....................................(अवश्य उल्लेख कीजिए)
➢ *(निर्देश–कृपया उक्त विषय के समर्थन में कम से कम 03 निर्णयों की प्रतिलिपि अथवा 03 प्रतिपरीक्षण की प्रतिलिपियॉ अवश्य प्रस्तुत कीजिए)*

{जैसे–सिविल मामलें, वैवाहिक मामलें, दाण्डिक प्रकरण, चेक बाउंस मामलें, किशोर न्याय अधिनियम/बोर्ड, श्रम विवाद, उपभोक्ता मामलें, राजस्व विवाद आदि मुख्यतः विषय में से केवल किसी एक विषय का उल्लेख कीजिए। एक से अधिक विषय उल्लेखित करने पर उनमें से किसी भी विषय पर प्राथमिकता हेतु विचार किया जा सकेगा}

11. क्या पूर्व में कभी पैनल लॉयर के रूप में पैनलकृत रहे हैं? (हॉ अथवा नहीं)– .... यदि हॉ, तो कृपया पेनल में रहने का वर्ष/अवधि का उल्लेख कीजिए–...

12. क्या आप फ्रंट ऑफिस में प्रतिधारक अधिवक्ता (Retainer Advocate) रहें है? (हॉ अथवा नहीं)–.................
यदि हॉ, तो कृपया प्रतिधारक अधिवक्ता रहने का वर्ष/अवधि का उल्लेख कीजिए–.......................................

13. क्या आपके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा दोषसिद्धि है? (हॉ अथवा नहीं)–.....................
यदि हॉ, तो कृपया मामले/प्रकरण का विवरण संलग्न कीजिए–..

कृ.पृ.उ.

14.क्या आप विधिक सेवाओं एवं गतिविधियों में सहभागिता/सहयोग कार्य और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक है? (हॉ अथवा नहीं)– ....

15.वृत्तिक अनुभव से संबंधी अन्य कोई विशेष योग्यता–..(यदि हो, तो कृपया उक्त संबंध में प्रमाण–पत्र/दस्तावेज अवश्य संलग्न किया जाए)।

- **दिनांक–......................** **आवेदक के हस्ताक्षर–....................................**
- **स्थान –.....................** **आवेदक का पूरा नाम–..**

।। <u>घोषणा–पत्र</u>।।

मैं, ... पति/पिता श्री .... एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र भली–भांति पढ़ और समझ लिया है। आवेदन–पत्र में अंकित की गयीं जानकारियॉ मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है। उसमें कोई भी बात छुपाई अथवा असत्य अंकित नहीं की गयीं है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मुझे सौंपे जाने वाले दायित्व एवं निर्देशों का निर्वहन एवं पैरवी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करूंगा/करूंगी। तथा विधिक सेवा संस्था के प्रति सन्निष्ठा एवं सम्मान रखूंगा/रखूंगी।

- **दिनांक–......................** **घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर–................................**
- **स्थान –......................** **घोषणाकर्ता का पूरा नाम–..**

❖ **<u>संलग्न</u> :–(कृपया निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन–पत्र के साथ अवश्यमेव प्रस्तुत कीजिए)**

1. स्टेट बॉर ऑफ कौंसिल द्वारा जारी प्रमाण'–पत्र। (स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि) (   )
2. आधार परिचय–पत्र। (स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि) (   )
3. अभिभाषक संघ द्वारा जारी वृत्तिक प्रमाण–पत्र प्रारूप–2 अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि। (   )
4. कम से कम 03 निर्णयों की प्रतिलिपि अथवा 03 प्रतिपरीक्षण की प्रतिलिपियॉ।

(कृपया निम्नलिखित प्रकार के वांछनीय दस्तावेज यदि हो तो आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें)

5. प्रतिधारक अधिवक्ता (Retainer Advocate) आदेश–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि। (   )
6. विषय विशेष क्षेत्र योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि। (   )
7. आवेदन–पत्र के समर्थन में कोई अन्य प्रमाण–पत्र (...)। (   )

{नोटः कृपया उपरोक्त खाली बॉक्स में (✓) अथवा (X) चिन्हित कीजिए।}

(आवेदक के लिए विशेष सूचनाः–आवेदक अधिवक्ताओं को चयन कार्यवाही यथा–साक्षात्कार की तिथि की सूचना संबंधित विधिक सेवा संस्था/न्यायालय/अभिभाषक संघ के सूचना पटल पर अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में दर्ज किये गये मोबाइल नं./व्हाट्सएप नं./ईमेल के माध्यम से सूचित की जा सकेगी।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर–☞..................................

***

सचिव,

(c.m.)

(प्रारूप–2)

(संबंधित अभिभाषक संघ द्वारा प्रमाणित किया जावे)

कार्यालय–मण्डल / तहसील अभिभाषक संघ, ... (म.प्र.)

जा.क्र. .... **दिनांक** ..../....../.............

(विधिक सेवा संस्था में विधि व्यवसायी के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र)

–––000–––

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कु. / श्री .... पत्नी / पिता श्री .... अभिभाषक संघ, ... के नियमित सदस्य होकर स्टेट बॉर ऑफ कौंसिल, ... में विधि व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होकर इनका पंजी.क्र. .... एवं दिनांक ..../......./............. है। तथा जिला / तहसील अभिभाषक संघ, ... की सदस्यता सूची में पंजी. / सदस्यता क्र. .... पर दर्ज है।

श्रीमती / कु. / श्री ....का आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **(20.01.2024)** तक की स्थिति में विधि व्यवसायी के रूप में वृत्तिक कार्य का अनुभव ....वर्ष और .... माह का है, जोकि कम से कम **03 (तीन वर्ष)** का है।

उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र आवेदनकर्ता को विधिक सेवा संस्था में विधि व्यवसायी के रूप में पैनलकृत होने के लिए आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाता है।

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

....

सचिव,
[illegible] विधिक सेवा प्राधिकरण
[illegible]

***

(*c.m.*)